निवासियों की सभा

<u>सहज एवं प्रभावकारी</u>

सहजकर्त्ता एवं उनका प्रशिक्षण

- सहजकर्त्ता कौन होंगे
- सहजकर्त्ता के प्रयास से लाभ
- सहजकर्त्ता के कार्य - निवासी सभा के आयोजन में
- सहजकर्त्ता का प्रशिक्षण
- निवासी सभा सहजकर्त्ता के लिए एक माह के कार्य की वचनबद्धता

परिचय

किसी भौगोलिक क्षेत्र में ऐसा क्या होना चाहिए कि उस क्षेत्र में निवासियों की सभा नियमित रूप से होनी शुरू हो जाए। एक माध्यम एक प्रशिक्षित व्यक्ति हो सकता है। जो क्षेत्र में जाकर लोगों से सम्पर्क कर “निवासी-सभा” की आवश्यकता एवं “निवासी-सभा” की विधि को बता सके। लोगों के बीच “निवासी-सभा” पर कार्यशाला कर बता सके कि नियमित “निवासी-सभा” करना आसान है। यहाँ इस व्यक्ति को “निवासी-सभा” सहजकर्ता बोला गया है। जो “निवासी-सभा” को करना क्षेत्र के निवासियों के लिए आसान बना सके।

क्या ऐसा हो सकता है कि यदि एक प्रशिक्षित व्यक्ति एक साधारण प्रयास करता है तो उस क्षेत्र में निवासियों की सभा हो सकती है। इस पाठ में निवासियों की सभा करने के लिए सहजकर्ता एवं उनके विभिन्न पक्ष जैसे - उनकी पहचान, प्रशिक्षण एवं कार्य इत्यादि की चर्चा की गई है।

चर्चा शुरू करने की सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु - निवासियों की सभा में सहजकर्त्ता की भूमिका सिर्फ सभा को सहज करने का है। निवासियों की सभा निवासियों की है एवं सभा का सारा कार्य जैसे - चर्चा में हिस्सा लेना, चर्चा के लिए एजेंडा देना, चर्चा में विचार देना, एजेंडा एवं निर्णय लिखना, निर्णय को लागू करना इत्यादि निवासी आपस में मिलजुलकर करते हैं, अतः सहजकर्त्ता की कोई भी भूमिका निवासी सभा के संचालन में नहीं होती है। इस व्यक्ति की भूमिका सिर्फ बैठक को सहज करने की है। सहज करने का अर्थ है निवासी अपनी “निवासी-सभा” की बैठक को आसानी से कर सकें।

यदि एक ही विधि सभी निवासियों को मालूम हो या एक ही विधि से सभी लोग एक कार्य को करना चाहते हैं, तो वे आपस में मिलजुलकर ऐसे कई कार्य कर सकते हैं। सहजकर्त्ता सबों को समान विधि की जानकारी देता है; वह ऐसा कई काम करता है जिससे निवासी सभा होना बिना झिझक के आसान हो जाता है, निवासियों की पहल को प्रोत्साहित करता है। उन्हें निवासी सभा के प्रति जागरूक करता है एवं उन्हें क्या करना है इसके लिए कार्यशाला करता है। उसके प्रयास से सभी निवासियों को अपनी निवासी सभा कर पाना सहज दिखता है। इस कारण से ही इस व्यक्ति को निवासी सभा सहजकर्त्ता (facilitator) नाम दिया गया है।

पुस्तक के इस भाग में यह भी चर्चा किया गया है कि जब एक सहजकर्त्ता एक नए क्षेत्र में निवासियों की सभा करने के लिए उनसे मिलता है, तो वह निवासियों से क्या चर्चा करता है, निवासी सभा की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर वह क्या बोलता है, एवं निवासियों के द्वारा सामान्यत: तौर पूछे जानेवाले कुछ सवालों का उसके पास क्या जवाब होता है।

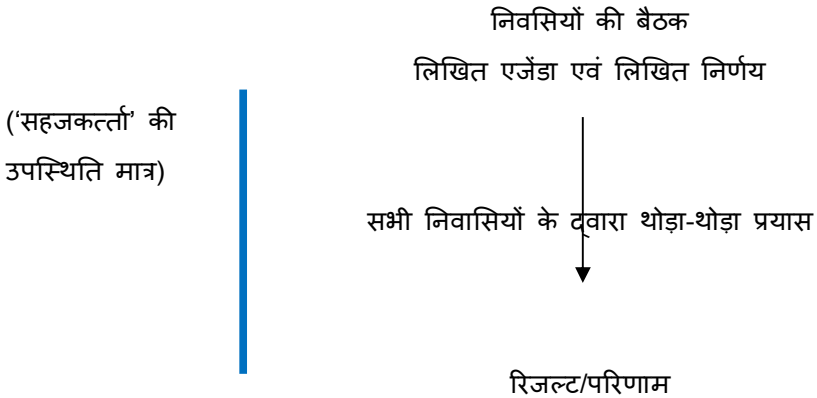

(निवासी सभा के निर्णय के आधार पर एक क्षेत्र के सभी निवासी ही आपस में सार्वजनिक महत्त्व के कार्य को आपसी तालमेल से करते हैं और तय परिणाम को प्राप्त करते हैं।)

सहजकर्त्ता कौन है ?

निवासी सभा सहजकर्त्ता एक उद्यमी खुशमिजाज व्यक्ति है। एक सहजकर्त्ता निवासी सभा सेवादाता है। एक सहजकर्त्ता निवासी सभा क्षेत्र के बाहर से भी हो सकता है। वह गाँव शहर के विकास में निवासियों की सहभागिता के प्रति आश्वस्त एवं प्रतिबद्ध होता है। उसका कार्य एक अनुभव, सहनशीलता एवं आगे आने का है। अतः एक अनुभवी या उर्जावान व्यक्ति ही "निवासी-सभा" सहजकर्त्ता की भूमिका में आ सकता है। इस कार्य को अच्छे तरीके से करने में स्थानीय युवा उसके साथ आगे आ सकते हैं।

सहजकर्त्ता स्वयंसेवक: निवासी सभा या निवासियों की औपचारिक सभा प्रचलन में नहीं है। क्षेत्र के निवासी खुद से बैठक के लिए आगे आते हैं, तभी निरंतर एवं नियमित "निवासी-सभा" हो पाना संभव है। अत: जो व्यक्ति वहाँ के निवासियों के लिए "निवासी-सभा" को सहज और आसान बनाता है उसे खुद भी स्वप्रेरित होना चाहिए। इस कारण से सहजकर्त्ता स्वंयसेवक की कल्पना की गई है।

निवासी सभा को सहज बनाने में कार्य करनेवाले सहजकर्त्ता कॉलेज में अध्ययनरत युवा छात्र-छात्रा भी हो सकते हैं। निवासी सभा को सहज बनाने के लिए यह कार्य उनकी शिक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी साबित होगा, जो कि उनके लिए भविष्य में तीव्र कैरियर ग्रोथ में सहायक होगा।

सहजकर्त्ता के प्रयास का परिणाम:

एक क्षेत्र जहाँ निवासी सभा नहीं होती है, निवासी सभा शुरू करने के लिए सहजकर्त्ता एक शुरूआती माध्यम है। "निवासी-सभा" होने से क्षेत्र के निवासियों को लाभ होता है। इसके साथ ही निवासियों से संबंधित हितधारक - जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, सेवादाता एवं अन्य भी प्रभावित होते हैं, उन्हें भी निवासी सभा से उतना ही लाभ मिलता है। इन लाभों के बारे में पूरी पुस्तिका में चर्चा तो की गई है, चूँकी पुस्तक का यह पाठ सहजकर्त्ता के लिए है अतः

उन लाभों को एकिकृत करने से सहजकर्त्ता को अपने उद्देश्यों को समझने में मदद मिलेगा। सहजकर्त्ता को ध्यान में रखते हुए निवासियों के लाभ के साथ - साथ हितधारक को होने वाले लाभ को भी इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है।

निवासियों को होने वाला लाभ:

- सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का लक्ष्य निर्धारण जिसमें सरकारी सेवा एवं सुविधा की योजना निर्माण शामिल है।
- सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार जिससे निजी लाभ होता है।
- कोई भी व्यक्ति असहाय नहीं होता है।
- सार्वजनिक लक्ष्य प्राप्ति एवं समस्या के समाधान में सबकी भागेदारी।
- इस प्रक्रिया से ग्रामीण या शहरी निवासी निर्भीक होकर अपनी बात कहीं भी कह सकते हैं।
- निवासी सभा में भागेदारी से क्षेत्र को जनप्रतिनिधियों एवं अन्य स्टेकहोल्डर से अधिक-से-अधिक लाभ मिलता है।

स्टेकहोल्डर को होने वाला लाभ:

- इससे निवासी शिकायतों को लेकर उलझन में नहीं रहते हैं।
- निवासी सभा के माध्यम से समाधान होने के कारण निवासियों में पंचायती राज व्यवस्था विशेष तौर पर ग्राम सभा के प्रति विश्वास बढ़ता है।
- वार्ड पार्षद/मुखिया निवासियों की शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान समय पर कर सकते हैं।
- जनप्रतिनिधि के पद की गरिमा बढ़ती है।
- प्रखंड एवं जिला स्तर पर लोगों की निर्भरता कम होती है।
- समस्याओं की जानकारी होने से पंचायती राज व्यवस्था को योजना निर्माण में मदद मिल सकता है, फलतः लोक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण होता है।
- पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय निकाय अपनी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम समयानुसार उठा सकता है।
- क्षेत्र की योजनाओं को निश्चित अवधि में पूरा कर सम्बन्धित प्रखण्ड एवं जिला स्तर से बेहतर तालमेल के साथ काम किया जा सकता है।

सहजकर्त्ता के कार्य - "निवासी-सभा" के आयोजन में:

"निवासी-सभा" सहजकर्त्ता की एक मात्र जिम्मेवारी "निवासी-सभा" को सहज करने की है। इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए वह निवासियों को "निवासी-सभा" की उपयोगिता और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। वह "निवासी-सभा" से अलग सभी निवासियों की कार्यशाला करता है। पहले दिन से ही "निवासी-सभा" वहाँ के निवासियों के द्वारा ही संचालित हो, इसके लिए प्रयास करता है। निवासी सभा के संचालन में "निवासी-सभा" के दिन वह सभास्थल पर मौजूद रहता है, ताकि निवासियों को उस दिन "निवासी-सभा" में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सके। अंततः एक सहजकर्त्ता के कार्य को मुख्यतः "निवासी-सभा" प्रतिफल के साथ देखना चाहिए।

'सहजकर्त्ता' जब एक क्षेत्र में कार्य की शुरूआत करता है -

'सहजकर्त्ता' जिस क्षेत्र में कार्य शुरू करता है, सबसे पहले वहां के वातावरण को जानता है, जनप्रतिनिधि और कुछ प्रबुद्ध लोगों से मिलता है, लोगों के मुद्दों को समझने की कोशिश करता है। लोगों से मुलाक़ात में अपना परिचय एवं अपने उद्देश्य पर चर्चा करता है। इस दौरान निवासियों से "निवासी-सभा" पर खुली चर्चा भी करता है। खुली चर्चा में "निवासी-सभा" के लिए जनप्रतिनिधि एवं निवासी से मिलकर तिथि, समय एवं स्थान तय करता है। इस खुली चर्चा के समय गाँव वालों में से एक व्यक्ति को निवासियों के मुद्दों की सूची बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस अनौपचारिक चर्चा के उपरांत कुछ निवासी घर-घर जाकर सभी निवासी से मुद्दा/एजेंडा इकट्ठा करते हैं। सहजकर्त्ता उस स्वयंसेवक को घर घर से एजेंडा एकत्रित करने में मदद करता है। सहजकर्त्ता खुद से कोई भी एजेंडा नहीं लिखता है।

<u>पहली निवासी सभा के आयोजन में सहजकर्त्ता के कार्य:</u> सबसे महत्वपूर्ण है सहजकर्त्ता निवासी की इस पहली बैठक में उपस्थित रहे। जहाँ तक संभव हो, किसी क्षेत्र के पहली "निवासी-सभा" सामान्य नियमित सभा की प्रक्रिया के अनुसार ही हो ताकि निवासियों में पहले दिन से ही "निवासी-सभा" को औपचारिक रूप से करने की प्रेरणा आए।

<u>नियमित निवासी सभा को करने में सहजकर्त्ता के कार्य:</u> "नियमित-निवासी" सभा के सहज एवं आसान करने के तीन अंग है। पहला "निवासी-सभा" से पहले, दूसरा निवासी सभा होने के दिन एवं तीसरा "निवासी-सभा" के बाद। इन तीनों की विवरणी नीचे दी गई है।

- निवासी सभा आयोजन के पहले एजेंडा लिखने में मदद - "निवासी-सभा" स्वयंसेवक के साथ घर-घर घूमना और उन्हें सभा का एजेंडा लिखने में प्रोत्साहित करना। "निवासी-सभा" आयोजन की तिथि से एक दिन पहले "निवासी-सभा" का प्रचार प्रसार करने में घर-घर जाकर बताए एवं सभी लोग खुद से तय तिथि को आएं।

- "निवासी-सभा" के दिन सहजकर्त्ता "निवासी-सभा" तिथि को तय समय से पूर्व सभा-स्थल पर रहें। जनप्रतिनिधि को बैठक का नेतृत्व करने में प्रोत्साहित करें।

- "निवासी-सभा" आयोजन के बाद "निवासी-सभा" के द्वारा निर्णय के सूचना के साथ प्रभात फेरी एवं कार्यशाला करना ताकि सभी लोग (वे लोग भी जो सभा में भाग नहीं लिए थे) निर्णय को लागू करने में अपना योगदान दें। ।

<u>"निवासी-सभा" का रिपोर्ट करने में:</u> "निवासी-सभा" सेवादाता समूह सभी क्षेत्रों के "निवासी-सभा" के अनुभव को संकलित करता है - कितनी जगह "निवासी-सभा" का आयोजन हो रहा है, उससे कितना लाभ निवासियों को हो पा रहा है, एवं सहजकर्त्ता कितना सहयोग दे रहा है इत्यादि। यह रिपोर्ट सहजकर्त्ता के द्वारा प्रत्येक "निवासी-सभा" के लिए तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट का मुख्य हिस्सा निम्न है: -

  - इस क्षेत्र में "निवासी-सभा" के बैठक की क्रम संख्या ?
  - बैठक में हिस्सा लेनेवाले निवासियों की संख्या
  - "निवासी-सभा" से निवासियों को सीधा लाभ
  - "निवासी-सभा" के द्वारा सेवाओं-सुविधाओं इत्यादि की स्थिति की सूचना इकट्ठा किया गया
  - "निवासी-सभा" का प्रयास

- यदि "निवासी-सभा" नहीं हुआ तो इसका कारण
- "निवासी-सभा" स्वयंसेवकों का नाम
- "निवासी-सभा" में एजेंडा की संख्या
- आर्थिक, मानव दिवस एवं सामग्री में निवासियों का सहयोग एवं आर्थिक अंशदान

<u>निवासियों के बीच निवासी सभा कार्यशाला:</u> जो निवासी "निवासी-सभा" के बारे में जानना चाहेंगे उन्हें इसकी लाभ एवं प्रक्रिया के बारे में बताएं। यह एक जागरूकता अभियान नहीं है बल्कि कार्यशाला है जो कि "निवासी-सभा" से अलग हटकर किसी क्षेत्र में सहजकर्त्ता एवं अन्य साधन सेवी के द्वारा निवासियों के लिए आयोजित किया जाता है।

नोट: "निवासी-सभा" में निवासी बिना सहजकर्त्ता के दखल या मदद के "निवासी-सभा" करता है या करनी चाहिए। कार्यशाला में निवासी प्रशिक्षित होते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस आधार पर निवासी को "निवासी-सभा" करने के लिए किसी बाहर वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होता है।

<u>जहाँ तक हो सके निवासियों को सूचना उपलब्ध कराना:</u> यह सहजकर्त्ता का प्रमुख कार्यों में से एक है। कई लोगों को उनके लिए उपलब्ध टूल्स की जानकारी नहीं होती है। *नोट: सहजकर्त्ता को इन टूल्स के बारे में जानकारी सहजकर्त्ता प्रशिक्षण में दी जाती है, साथ ही साथ उन्हें स्वध्याय के लिए बोला जाता है।*

<u>"निवासी-सभा" हितधारक में जागरूकता लाना:</u> पहले चर्चा की गई है कि, "निवासी-सभा" के होने का प्रभाव उसके हितधारक पर पड़ता है। साथ-ही-साथ "निवासी-सभा" को हितधारक का सहयोग भी मिलता है। अत: हितधारक जैसे- जनप्रतिनिधि या सेवादाता कर्मी को भी सहजकर्त्ता के द्वारा "निवासी-सभा" के प्रति जागरूक किया जाता है और कुछ को व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले पाठ में हितधारक को दिया जाने वाला प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए विषय प्रस्तुत किया गया है।

"निवासी-सभा" में सहजकर्त्ता को क्या नहीं करना है?

- "निवासी-सभा" आयोजन के अतिरिक्त सीधे कोई भी काम वह नहीं करता है।
- घर-घर भ्रमण में "निवासी-सभा" के एजेंडा को वह खुद से नहीं लिखता है।
- बैठक के किसी भी निर्णय में अपना विचार नहीं देता है।
- एजेंडा या निर्णय को वह खुद से नहीं लिखता है।
- ऐसा व्यवहार या बातचीत कदापि ना करें जिससे किसी समुदाय या समूह के प्रति भेदभाव परिलक्षित होता हो।
- किसी व्यक्तिगत/निजी मामले में अपनी राय ना दें।
- राजनीतिक बातें ना करें।
- जातिगत/धार्मिक/विवादित मुद्दों से दूरी बनाये रखें।
- गुटखा/पान/शराब/तम्बाकू आदि का सेवन कदापि ना करें।
- विवाद में अपना विचार नहीं दें। संभव है, आप इसके लिए सक्षम नहीं हों। निवासियों को ही निवासियों का विवाद हल करना है।

सहजकर्त्ता का व्यवहार के सम्बन्ध में क्या करें?

- सभी लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करें।
- सभी निवासी आपके लिए एक समान हैं, इसलिए सबको एक नजर से देखें।
- आपकी कार्यशैली ऐसी हो जिससे लोगों को लगे कि आप उनकी मदद के लिए नहीं आएं और आपका उद्देश्य "निवासी-सभा" बैठक मात्र है।
- आप का पहनावा व्यावहारिक हो।

सहजकर्त्ता का प्रशिक्षण:

निवासी सभा सहजीकरण एक व्यवस्थित प्रयास है। इसके अंतर्गत एक सहजकर्त्ता के प्रयास का अधिकतम लाभ तभी मिलेगा जब वह प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, निरंतर सीखते रहें, स्वध्याय करें, और समस्या का समाधान उसका विधी हो। "निवासी-सभा" सहजीकरण कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, सहजकर्त्ता के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो उपर्युक्त वर्णित गुणों पर आधारित हो। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को 6 खंडो में विभाजित किया गया है। वे खंड हैं -

(क) कक्षा आधारित चर्चा,

(ख) "निवासी-सभा" का सहजीकरण में अपना योगदान देना,

(ग) पुन: कक्षा आधारित चर्चा,

(घ) कुछ सटीक जमीनी उदाहरण का अध्ययन (Case Study) लिखना एवं

(च) अंत में प्रमाणीकरण। इस प्रशिक्षण का फैलाव पूरे एक वर्ष के लिए है, जिसके अंतर्गत उन्हें

(छ) स्वध्याय के लिए कई महत्त्वपूर्ण विषय सामग्री भी दिया जाता है।

सहजकर्त्ता के प्रशिक्षण के उपरांत वह निम्न तीन गुण सीख सकता है या उसके सीखने का तीन लक्ष्य हो सकता है।

- "निवासी-सभा" प्रक्रिया एवं सहजकर्त्ता को क्या करना है?
- निवासियों के बीच "निवासी-सभा" का औचित्य एवं लाभ को बताने के लिए निवासियों की कार्यशाला आयोजित करना।
- "निवासी-सभा" को सहज बनाने में सहजकर्ता का कार्य।

टिप्पणी: "निवासी-सभा" सहजकर्त्ता का क्षमता है, कि उसे क्षेत्र के कई लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, और उनके बीच "निवासी-सभा" के उपर कार्यशाला करना है। इन कार्यों के लिए सहज कौशल (Soft Skill) की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सहज कौशल (Soft Skill) का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम योगदान एवं चर्चा (Interactive) आधारित होता है, जिससे उसे इन क्षमताओं का अभ्यास करने का मौका

अवश्य मिलता है। यदि किसी प्रशिक्षु को सहज कौशल के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उसे अलग से सहयोग उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त परिचय के उपरांत "निवासी-सभा" सहजकर्त्ता का प्रशिक्षण के 6 खंडों की चर्चा नीचे बारी-बारी से की गई है।

<u>खंड क: कक्षा आधारित चर्चा:</u>

प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत दो-दो घंटे के तीन सत्र कुल 6 घंटे की कक्षा आधारित परिचर्चा से होती है। इस कक्षा आधारित चर्चा के केन्द्र में "निवासी-सभा" प्रक्रिया पर पुस्तक है। कक्षा आधारित चर्चा के उपरांत प्रशिक्षु को "निवासी-सभा" का संचालन का प्रयोगात्मक अनुभव दिया जाता है। इसके उपरांत आशा की जाती है कि वे अपने चयनित क्षेत्र में निवासियों के द्वारा "निवासी-सभा" के संचालन में सहजकर्त्ता की भूमिका में आएँगे।

कक्षा आधारित चर्चा की समय सारणी निम्न है:-

मुख्य बिन्दु	चर्चा का विषय एवं विधि	समय
1. परिचय	• प्रतिभागी एवं उनका अनुभव (नाम, कार्य और शिक्षा), उनका सोच कि वे निवासी सभा कैसे करेंगे ? • "निवासी-सभा" साधन सेवी का जमीनी अनुभव • "निवासी-सभा" कैसे करें ? • एजेंडा फॉर्म • "निवासी-सभा" सहजकर्त्ता एवं उनके कार्य • इस क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण) की योजना	30 मिनट + 30 मिनट
2. "निवासी-सभा" करने से निवासियों को क्या फायदा होगा?	• निवासियों का सामान्य सवाल (FAQ) • "निवासी-सभा" पर गाँव में कार्यशाला करना	60 मिनट
3. पहला "निवासी-सभा" करने के लिए क्या करना? (रोल प्ले)	• पहली बैठक के पूर्व निवासियों के बीच चर्चा, घर-घर से एजेंडा इकट्ठा करना • पहली बैठक *प्रशिक्षु के द्वारा रोल प्ले*	60 मिनट
4. "निवासी-सभा" सहजकर्त्ता की भूमिका एवं सहजकर्त्ता का सहयोग	• "निवासी-सभा" प्रत्येक महीना सुचारू रूप से अपने आप चले, इसके लिए क्या करना होगा। इस पर चर्चा। • आगे चलकर, क्या सहजकर्त्ता को बिल्कुल कुछ नहीं करना है ? यदि हाँ तो क्यों ? यदि नहीं तो कितना	60 मिनट

	काम करते रहना होगा ?	
5. निवासी सभा का एजेंडा, उपलब्ध संसाधन के अनुसार निवासियों का लक्ष्य एवं हमारा एरिया/क्षेत्र कैसा हो ?	• "निवासी-सभा" के एजेंडा का स्रोत • लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवासियों को क्या करना होगा। (उदाहरण बच्चों की शिक्षा एवं सार्वजनिक स्थान की साफ-सफाई) *प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा*	45 मिनट
6. सार्वजनिक मुद्दों पर निर्णय को लागू करना	"निवासी-सभा" के कार्य सार्वजनिक मुद्दों पर निर्णय को लागू करने में • सूचना का संग्रहण करना एवं उपयोग • तय स्वयंसेवी का कार्य • "निवासी-सभा" में आपस में सहयोग • सार्वजनिक निर्णय को लागू करना • आर्थिक दंड को लागू कराना • सरकारी योजना में सहयोग कैसे करेंगे (उदाहरण बच्चों की शिक्षा) *(रोले प्ले)*	60 मिनट
7. स्व-अध्ययन	• पुस्तक ''निवासियों की सभा सहज एवं प्रभावकारी" • निवासियों के लिए उपयोगी टूल्स	15 मिनट
8. जाँच एवं ग्रेड		10 मिनट
9. प्रकरण-विवरण	• संभावित विषय की सूची	15 मिनट

इस कक्षा आधारित चर्चा के बाद सहजकर्त्ता एक "निवासी-सभा" में हिस्सा लेता है और अवलोकन करता है। इसके उपरांत 1-2 घंटे की चर्चा होती है जिसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा होती है -

- "निवासी-सभा" में सहजकर्त्ता की भूमिका

- "निवासी-सभा" चर्चा किस प्रकार निर्णय केन्द्रित हो सकती है और "निवासी-सभा" किस प्रकार अपने निर्णय एवं सेवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण रख सकती है।

खंड ख: "निवासी-सभा" करने के समय हैण्ड होल्डिंग एवं गाइडेंस pkc

“निवासी-सभा” सेवादाता संस्था सहजकर्त्ता को पहले दो से तीन “निवासी-सभा” में मदद करता है, ताकि वे “निवासी-सभा” में सहयोग के लिए आत्म निर्भर हो जाएँ, झिझक दूर हो एवं उसका अभ्यास हो जाए। आगे की “निवासी-सभा” वह अपने बल पर खुद से कर लेता है।

खंड ग: प्रत्येक तीन माह पर 2 दिवसीय कार्यशाला (6 घंटा, “निवासी-सभा” मुद्दों पर निर्णय लेकर सार्वजनिक कार्यों को करना या किसी समस्या का समाधान करना - सेवावार चर्चा): सहजकर्त्ता खुद से कुछ “निवासी-सभा” का आयोजन कर चुका होगा। सहजकर्त्ता सार्वजनिक सेवाओं का बारी - बारी से चर्चा करता है। चर्चा का आधार उसका खुद का उदाहरण होता है - “निवासी-सभा” सेवाओं सुविधाओं की स्थिति की सूचना इकट्ठा किस प्रकार करता है, “निवासी-सभा” सेवाओं में गुणवत्ता किस प्रकार प्राप्त करता है, इसमें सहजकर्त्ता की क्या भूमिका होती है इत्यादि।

चर्चा का अन्य विषय होगा कि “निवासी-सभा” सहजकर्त्ता को अपने कार्य के संपादन में क्या कठिनाईयां आई एवं वह इसका समाधान किस प्रकार किया। तीन सेवा को आधार बनाकर चर्चा की जाती है, फिर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है।

खंड घ: किसी एक विषय के जमीनी क्रियान्वयन पर प्रकरण-विवरण लिखना

विभिन्न परिस्थितियों में “निवासी-सभा” के आयोजन में विभिन्न चुनौतियाँ आ सकती हैं, सहजकर्त्ता निवासियों को परिस्थिति के अनुसार सुझाव कार्यशाला में दे सकता है। *(नोट: यह सुझाव “निवासी-सभा” में नहीं दी जा सकती है बल्कि यह सुझाव एक कार्यशाला या “निवासी-सभा” से अलग दी जा सकती है)*

इसी प्रकार निवासियों को सार्वजनिक सेवाओं-सुविधाओं की प्राप्ति के लिए परिस्थिति के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेना होता है। सहजकर्त्ता ही निवासियों के कार्यशाला का आयोजन करता है। कार्यशाला की तैयारी करने के लिए उनके उदाहरण का अध्ययन करता है। सभी सहजकर्त्ता अपने एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्य के समय इन विशेष परिस्थितियों में से एक परिस्थिति को एक प्रकरण-विवरण के रूप में लेकर अध्ययन करता है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर अपने प्रशिक्षक को देता है। प्रशिक्षक दल इस परियोजना-कार्य में एक स्थिति-वाचक (guide) की भूमिका में होता है। यह पूरे प्रशिक्षण का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। यह प्रशिक्षु को अपनी भूमिका में पहल करने के लिए मौका देता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वे सिर्फ परिस्थिति की चर्चा नहीं करें, बल्कि परिस्थिति के अनुसार कार्यशाला में निवासियों को लागू होने लायक सुझाव भी दें।

<u>खंड च: स्वाध्याय के लिए विषय:</u>

- सोशल ऑडिट
- जनता दरबार
- जन शिकायत निवारण पद्धति
- सेवादाता एवं प्रशासन का संपर्क
- सिटीजन चार्टर
- सामाजिक संगठन
- लाभार्थी कमिटी
- शिक्षा का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- सूचना स्वतः प्रकट करना (Open disclosure)
- सेवा का अधिकार
- लोकपाल
- संविधान में ग्राम सभा का महत्त्व
- नागरिकों के लिए कानून और कचहरी
- सेवा का अधिकार केंद्र
- सिटीजन सर्विस सेंटर
- ग्राहक फोरम
- स्थानीय सरकार (पंचायत एवं नगर पालिका)
- संविधा

<u>खंड छ: प्रमाणीकरण</u>

सहजकर्त्ता का प्रशिक्षण किसी भी अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अतः इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद प्रशिक्षित सहजकर्त्ता को एक सर्टीफिकेट दिया जाता है। प्रयास किया जा रहा है कि इस <u>सर्टीफिकेट की मान्यता सरकारी संस्थानों के द्वारा भी प्राप्त हो।</u>

सहजकर्त्ता प्रशिक्षण का एक अनुभव:

दल के द्वारा शुल्क लेकर सहजकर्त्ता का प्रशिक्षण करने का यह पहला अनुभव था। प्रशिक्षण में एक स्वयंसेवक की तुलना में शुल्क देकर प्रशिक्षण लेने का उत्साह बहुत ज्यादा था। आशा नहीं थी कि, प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षु समय पर रिपोर्ट करेंगे और प्रशिक्षण समय पर शुरू हो जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण के दोनों ही दिन पर हुआ। कुल 15 प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पहले दिन आए और दूसरे दिन भी 11 लोग आए। इस दोनों दिनों में अन्य 17 लोग लौट गए जोकि प्रशिक्षण लेने के लिए देर से आ पाए। साधन सेवी शुल्क लेकर पहली बार प्रशिक्षण दे रहे थे इसलिए प्रशिक्षु की संख्या 15 तक सीमित रखे थे। अगले दिन सिर्फ 4 लोगों का प्रशिक्षक छोड़ना और अन्य 11 लोगों का समय पर आना एक उत्साह देता है कि यह निवासियों की सभा की सोच एवं इसकी आवश्यकता प्रशिक्षु के बीच जा पा रहा है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत् चलता रहेगा और इसके लिए शुल्क रू। 5**00/-** से रू. **2000/-** प्रति प्रशिक्षु रखा जा रहा है।